HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3239/2026

Gaurav S/o Babulal, R/o Village Reni, Police Station Reni, District Alwar, Presently Resident Of House No. 10, Gopi Nagar, Vijaypura, Meena Parli, Police Station Meena Parli, District Jaipur, Presently Resident Of G-19, Jhelam Apartment, Pratap Nagar, District Jaipur (Raj.), (At Present Accused Petitioner Confined In District Jail Tonk)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Jaipur

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 2812/2026

Mahendra S/o Ramkhiladi, R/o Mukandpura, Police Station Reni, District Alwar, Presently Resident Of Samrat Auto Workshop, NRI Chouraha, Jagatpura, Police Station Jagatpura, District Jaipur (Raj.). (At Present Accused Petitioner Confined In District Jail Tonk)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Verma, Adv. Mr. Gurvindra Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना–मालपुरा, टोंक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**158/2025**

अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(e) भारतीय न्याय संहिता में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होकर एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुत हुए हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। प्रथम जमानत आवेदन दिनांक 16.12.2025 को इस खारिज किया गया था कि तत्समय बकाया अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान लंबित है और इस हेतु दो माह का समय अनुसंधान अधिकारी को दिया गया था, किन्तु अभी तक उक्त अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। सह–अभियुक्त सोनू जिसके विरूद्ध हत्या, एनडीपीएस एक्ट आदि से संबंधित गंभीर आपराधिक मामले थे, उसकी जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और उसके पश्चात इस न्यायालय द्वारा सह–अभियुक्त शिवम की भी जमानत स्वीकार की गयी है। मुख्य अभियुक्त सोनू से प्रार्थीगण का मामला कमतर है, अन्त में प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर ए.टी.एम. उखाडकर 12,77,000/– रूपये ले गये। सह–अभियुक्त सोनू जिसके विरूद्ध काफी गंभीर आपराधिक प्रकरण बताये हैं, की जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. गौरव पुत्र बाबूलाल तथा 2. महेन्द्र पुत्र रामखिलाडी** की ओर से प्रस्तुत दोनों द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /7-8